न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 30 / 2022 (Bank Case)

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालयः– सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय – घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर दाधीच। **– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. मै. शाशवत ज्वेलर्स **– (ऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः– सोनी ब्रदर्स, चौथ माता मंदिर के सामने, चौथमाता बाजार,कोटा – 324006 (राज.)
   अन्य पताः– प्लॉट नम्बर–237, बजरंग नगर, कोटडी, कोटा–324001
2. निरंजन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह **(सहऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः– प्लॉट नं.–237, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, नयापुरा, कोटा– 324001
3. मोहन सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल **(सहऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः– प्लॉट नं.–237, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, नयापुरा, कोटा– 324001
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह **–(गारन्टर)**
   पताः– प्लॉट नं.–237, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, नयापुरा, कोटा– 324001
5. वर्षा धाकड पुत्री भूरा धाकड **–(गारन्टर)**
   पताः– प्लॉट नं.–237, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, नयापुरा, कोटा– 324001

– सहऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री नरपतसिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 07-06-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालयः– सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय– घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) में स्थित है, से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 26.06.2019 को अनुबंध संख्या 7821607 के जरिये राशि रूपये 35,00,000 / –(अक्षरेः रूपये पेतीस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर–237, बजरंग नगर, कोटडी, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल** 111.11 वर्ग **यार्ड है, जो जर्ये नगर विकास न्यास, कोटा के भू–आवंटन पत्र कमांक 964 दिनांक** 7.08.02 से **श्री मोहन सिंह के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– प्लॉट नं. 238, पश्चिम में– प्लॉट नं. 236, उत्तर में– प्लॉट नं. 168, दक्षिण में– रोड स्थित है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 04.12.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 39,60,384 / – (अक्षरे रूपये उनतालीस लाख, साठ हजार, तीन सौ चौरासी रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 15.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "जनसत्ता" में दिनांक 20.09.2021 को एवं अग्रेंजी समाचार पत्र "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 20.09.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "जनसत्ता" में दिनांक 20.09.2021 को एवं अग्रेंजी समाचार पत्र "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 20.09.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 15.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "जनसत्ता" में दिनांक 20.09.2021 को एवं अग्रेंजी समाचार पत्र "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 20.09.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर–237, बजरंग नगर, कोटडी, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग यार्ड है, जो जर्ये नगर विकास न्यास, कोटा के भू–आवंटन पत्र कमांक 964 दिनांक 7.08.02 से श्री मोहन सिंह के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में– प्लॉट नं. 238, पश्चिम में– प्लॉट नं. 236, उत्तर में– प्लॉट नं. 168, दक्षिण में– रोड स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07-06.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कोटा